india.gov.in INDIA

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-415

11 भाद्र, 1931 शकाब्द

राँची, बुधवार 2 सितम्बर, 2009

वित्त विभाग

संकल्प

29 अगस्त, 2009

विषय : राज्यकर्मियों के लिये संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ।

संख्या 6/एस०-06(पी०)-03/2009--राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्त्त के साथ केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने में बनी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28-02-2009 द्वारा प्रदान की गई है । संकल्प में केन्द्र के अनुरूप संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (Modified Assured Career Progression Scheme) लागू करने का निर्णय संसूचित किया गया है, जिसके लिये विस्तृत निदेश अलग से निर्गत करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था ।

2. इस बीच भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिये सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०एस०) की जगह संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किया जा चुका है । सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए०सी०पी०) योजना को अवक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) योजना, जिसमें क्रमशः 10/20/30 वर्षों की लगातार नियमित सेवा के उपरान्त तीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा, परिशिष्ट-1 के अनुसार राज्यकर्मियों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

3. एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् लाभ स्वीकृति के मामले पर विचार करने के लिये विभागीय/संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी (जो भी स्थिति हो) के स्तर पर स्क्रीनिंग समिति गठित की जायेगी । स्क्रीनिंग समिति की संरचना वही होगी, जो नियमित प्रोन्नति पर विचार करने के लिये संगत भर्ती-प्रोन्नति/सेवा नियमावली में विहित् की गई हो । स्क्रीनिंग समिति के सदस्य के रूप में वैसे

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

india.gov.in INDIA

पदाधिकारी शामिल किये जायेंगे, जिसके द्वारा धारित पद की श्रेणी एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् समिति में विचार होने वाले ग्रेड से कम से कम एक स्तर ऊपर हो, लेकिन अवर सचिव अथवा समकक्ष से कम श्रेणी का नहीं हो । अध्यक्ष की श्रेणी सदस्य की श्रेणी से कम से कम एक स्तर ऊपर होना आवश्यक है ।

4. जिन मामलों में विभागीय प्रोन्नति समिति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित है, एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् स्क्रीनिंग समिति मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद्/विकास आयुक्त/समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग विभिन्न विभागों के वरीय पदधारकों को एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् लाभ प्रदान करने के लिये स्क्रीनिंग समिति की संरचना के संबंध में स्थायी आदेश निर्गत करेगा ।

5. इस योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु स्क्रीनिंग समिति समयबद्ध कार्यक्रम तय करेगा । समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी, ताकि वर्ष के उस छमाही के परिपक्व मामलों में अग्रिम कार्रवाई की जा सके । तद्नुसार किसी खास वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही (अप्रैल से सितम्बर) के परिपक्व मामलों में स्क्रीनिंग समिति द्वारा जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में विचार किया जायेगा । इसी प्रकार उस वित्तीय वर्ष के द्वितीय छमाही (अक्टूबर से मार्च) के परिपक्व मामलों में स्क्रीनिंग समिति द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में जुलाई के प्रथम सप्ताह में विचार किया जायेगा । संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिये आदेश निर्गत होने के एक माह के भीतर स्क्रीनिंग समिति का गठन करेंगे, ताकि परिपक्व मामले पर तुरन्त निर्णय लिया जा सके ।

6. एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर वित्तीय उन्नयन औपबंधिक रूप से स्वीकृत करने के लिये प्रशासी विभाग/संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी अधिकृत होंगे । औपबंधिक रूप से किये गये वित्तीय उन्नयन की संपुष्टि राज्य स्तरीय कर्मियों की स्थिति में विभागीय सचिव द्वारा स्वयं तथा मुफस्सिल कार्यालयों के कर्मचारियों की स्थिति में स्वयं प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा एक वर्ष के भीतर करा ली जायेगी ।

7. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा एवं वरीयता से इसका कोई संबंध नहीं होगा । यह कार्यात्मक/नियमित प्रोन्नति के समान नहीं होगा, इसके लिये पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी । संवर्ग में कनीय कर्मी को एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा ।

8. प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित आदेश केवल नियमित प्रोन्नति पर ही लागू है । अतः आरक्षण नियम/रोस्टर एम०ए०सी०पी० योजना पर लागू नहीं होगा एवं इसका लाभ सभी योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मियों को भी समान रूप से देय होगा । ऐसी स्थिति में स्क्रीनिंग समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व आवश्यक नही होगा । लेकिन नियमित/क्रियाशील प्रोन्नति के समय संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आरक्षण नियमों एवं प्रोन्नति की निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

9. इस योजना के तहत् वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप पदधारक के पदनाम, वर्गीकरण एवं स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होगा । राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोहों, उच्चतर पदों पर प्रतिनियोजन

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

india.gov.in INDIA

आदि कार्यों के लिये वे अपने मौलिक पद/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त करेंगे । लेकिन, उच्चतर वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम सहित अन्य अग्रिम का लाभ देय होगा ।

10. ए०सी०पी० योजना से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14-8-2002 एवं इस प्रसंग में निर्गत अनुवर्ती आदेशों से आच्छादित/निर्णीत पुराने मामले यथावत रहेंगे, अर्थात उसका निस्तार पुरानी ए०सी०पी० योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जायेगा । उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा । इस योजना (एम०ए०सी०पी) के कार्यान्वियन के फलस्वरूप एक ही संवर्ग के अधीन पुरानी ए०सी०पी० योजना एवं एम०ए०सी०पी योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतनमान का अंतर विसंगति नहीं मानी जायेगी ।

11. एम०ए०सी०पी० योजना दिनांक 1-9-2008 के प्रभाव से लागू होगा । इससे पूर्व अर्थात् दिनांक 31-8-2008 तक वित्तीय उन्नयन ए०सी०पी० योजना के प्रावधानों (वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14-8-2002 एवं अनुवर्ती आदेशों में निहित) के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा ।

12. इस योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन के प्रसंग में किसी प्रकार की कठिनाई, शंका होने की स्थिति में उसका निर्वचन/स्पष्टीकरण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा, जो अंतिम होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,
प्रधान सचिव ।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

india.gov.in INDIA

परिशिष्ट-1

संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) योजना

1. राज्यकर्मियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पूरे सेवा काल में तीन वित्तीय उन्नयन, जो सीधी भर्ती ग्रेड से परिगणित होगा, क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त देय होगा । एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी सरकारी सेवक को इस योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा ।

2. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन क्रमिक ग्रेड वेतन की सूची में ठीक अगला उच्चतर ग्रेड वेतन, जो वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०दिनांक 28-2-2009 की अनुसूची-I में अनुशंसित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन है, के अनुसार देय होगा । अतः कुछ मामलों में जहाँ दो क्रमिक ग्रेडों के बीच नियमित प्रोन्नति नहीं है, वहाँ एम०ए०सी०पी० के तहत् वित्तीय उन्नयन के समय ग्रेड वेतन नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग होगा । ऐसे मामलों में संवर्ग के पदसोपान में अगली प्रोन्नति के पद का उच्चतर ग्रेड वेतन नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जायेगा ।

3. एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन अधिकतम वेतन बैण्ड IV में रुपये 10,000 ग्रेड वेतन तक अनुमान्य होगा ।

4. नियमित प्रोन्नति के समय देय वेतन निर्धारण का लाभ इस योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जायेगा । फलस्वरूप वित्तीय उन्नयन के समय पूर्व से प्राप्त वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन को जोड़ने के पश्चात्) का 3 प्रतिशत (10 के गुणांक में) वेतन निर्धारण का लाभ देय होगा । बाद में यदि उसी ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति होती है, तो वैसी स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा । वैसे मामले जहाँ एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् प्रदत्त ग्रेड वेतन से अधिक के ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है, वहाँ भी वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड वेतन के अंतर की राशि मात्र देय होगी ।

   दृष्टांत--यदि कोई सरकारी सेवक PB-1 में ग्रेड वेतन रुपये 1900 के पद पर सीधी भर्ती द्वारा योगदान करते है एवं 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक कोई प्रोन्नति प्राप्त नहीं करते है, तो उन्हे एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् ठीक अगला उच्चतर ग्रेड वेतन रुपये 2000 में वित्तीय उन्नयन देय होगा एवं उनका वेतन, एक वेतन वृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अंतर की राशि (रुपये 100) को जोड़ कर निर्धारित किया जायगा । एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त यदि वह सरकारी सेवक अपने संवर्ग के पदसोपान में नियमित प्रोन्नति प्राप्त करते है, जिसका ग्रेड वेतन रुपये 2400 है, वैसी स्थिति में उन्हें मात्र ग्रेड वेतन रुपये 2000 एवं रुपये 2400 के अंतर की राशि देय होगी, अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

5. नियमित प्रोन्नति/ए०सी०पी० योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन, जो पूर्व में दिया जा चुका है, लेकिन वेतन पुनरीक्षण के पश्चात् ऐसे वेतनमानों का एक ही ग्रेड वेतन में संविलयन किया गया है, एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन देने के प्रयोजन से नजरअंदाज (ignore) कर दिया जायेगा ।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

india.gov.in INDIA

दृष्टांत---अपुनरीक्षित वेतनमान की सूची (आरोही क्रम में) में किसी सेवा/संवर्ग/संगठन में निम्नलिखित वेतनमान उपलब्ध थे :-

रुपये 5000-8000, रुपये 5500-9000 एवं रुपये 6500-10500

(a) सरकारी सेवक, जो अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 5000-8000 में नियुक्त हुये थे, दिनांक 1-1-2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी एक भी प्रोन्नति नहीं मिली है, द्वारा 1-1-2006 को ए०सी०पी० योजना के तहत् अगले दो वेतनमान अर्थात् अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 5500-9000 एवं रुपये 6500-10500 में दो वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर चुके होंगे ।

(b) दूसरा सरकारी सेवक, जिनकी नियुक्ति रुपये 5000-8000 के अपुनरीक्षित वेतनमान में हुई है, द्वारा दिनांक 1-1-2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा पूरी की गयी है, लेकिन उन्हे रुपये 5500-9000 एवं रुपये 6500-10500 वेतनमान के उच्चतर पदों पर नियमित प्रोन्नति दी गयी है ।

उपर्युक्त (a) एवं (b) के मामलों में दिनांक 1-1-2006 के पूर्व रुपये 5500-9000 एवं 6500-10500 में दी गयी प्रोन्नति/ए०सी०पी० के तहत् दिये गये वित्तीय उन्नयन को रुपये 5000-8000, रुपये 5500-9000 एवं रुपये 6500-10500 में विलय (merger) के कारण नजरअंदाज कर दिया जायेगा । वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त दोनों श्रेणी के सरकारी सेवकों को वेतन बैण्ड II में ग्रेड वेतन रुपये 4200 स्वीकृत किया गया है । एम०ए०सी०पी० योजना लागू होने के फलस्वरूप दोनों ही मामलों यथा (a) एवं (b) में दो वित्तीय उन्नयन PB-II में अगला उच्चतर ग्रेड वेतन रुपये 4600 एवं रुपये 4800 देय होगा ।

5.1 जो सरकारी सेवक अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 5500-9000 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होकर 1-1-2006 के पूर्व प्रथम ए०सी०पी० के रूप में अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 6500-10500 प्राप्त कर रहे थे, उन्हें एम०ए०सी०पी० योजना लागू होने के फलस्वरूप PB-II में ग्रेड वेतन रुपये 4600 देय होगा ।

6. ए०सी०पी० योजना के तहत् जिन सरकारी सेवकों को वित्तीय उन्नयन दिनांक 1-1-2006 तक दिया गया है, उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान/नई वेतन संरचना में ए०सी०पी० योजना के तहत् प्रदत्त वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ।

6.1 दिनांक 1-1-2006 एवं 31-8-2008 के बीच ए०सी०पी० योजना के तहत् प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के मामलों में सरकारी सेवक को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28-2-2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का दो विकल्प दिया गया है । प्रथम यह कि वह दिनांक 1-1-2006 के प्रभाव से दिनांक 1-1-2006 के अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण का लाभ लें । दूसरा विकल्प यह है कि संबंधित सरकारी सेवक ए०सी०पी० योजना के तहत् प्रदत्त अपुनरीक्षित वेतनमान में वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प दें । दूसरे विकल्प के चयन की स्थिति में वह विकल्प की तिथि अर्थात् ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की तिथि से बकाये वेतन का हकदार होगा ।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

india.gov.in INDIA

6.2 वैसे मामले, जिनमें सरकारी सेवक को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत संवर्गीय पद सोपान में अगले उच्चतर पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, लेकिन छठा केन्द्रीय वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप संवर्ग के उच्चतर पद को उच्चतर ग्रेड वेतन देकर उत्क्रमित किया गया है, ऐसे सरकारी सेवकों का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में पद का उच्चतर ग्रेड वेतन देकर निर्धारित किया जायेगा । परन्तु एम०ए०सी०पी० योजना के लागू होने की तिथि से सभी वित्तीय उन्नयन हर हालत में वेतन बैण्डों के क्रमिक ग्रेड वेतन में ही देय होगा ।

7. भारत सरकार के मौलिक नियमावली FR 22(a)(1) के अधीन एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवक प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से दे सकते हैं । ऐसे मामले में वेतन एवं वेतन वृद्धि की तिथि का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28-2-2009 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा ।

8. संवर्ग नियमावली के अधीन प्रोन्नति के पद सोपान, जिसका ग्रेड वेतन समान हो, में नियमित प्रोन्नति एम०ए०सी०पी० के उद्देश्य से परिगणित होगी ।

8.1 छठे केन्द्रीय वेतनमान को लागू करने के पश्चात् ग्रेड वेतन रुपये 5400 दो वेतन बैण्डों अर्थात् PB-II एवं PB-III के अंतर्गत है । PB-II का ग्रेड वेतन रुपये 5400 एवं PB-III का ग्रेड वेतन रुपये 5400 एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन उद्देश्य से अलग-अलग ग्रेड वेतन माना जायेगा ।

9. एम०ए०सी०पी० योजना कार्यभारित कर्मचारियों जिनका सेवा शर्त नियमित स्थापना के कर्मचारियों के सदृश्य है, पर भी लागू होगा ।

10. एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन यदि सरकारी सेवक की अयोग्यता अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण लंबित रखा जाता है तथा 10 वर्षों के बाद स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो इसका परिणामी प्रभाव अनुवर्ती वित्तीय उन्नयन पर पड़ेगा । फलस्वरूप प्रथम वित्तीय उन्नयन में विलम्ब की अवधि तक अनुवर्ती वित्तीय उन्नयन भी विलम्बित होगा । अगर कोई कर्मचारी प्रशिक्षण, बाह्य सेवा शर्त्त पर प्रतिनियुक्त, अध्ययन अवकाश, अन्य प्रकार की छुट्टी पर रहते हैं, तो जब तक उक्त अवधि के सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिवत् विनियमित नहीं किया जाता है, तब तक उक्त अवधि की गणना एम०ए०सी०पी० के लिए निमित्त नहीं की जायेगी ।

11. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत "नियमित सेवा" की गणना सीधी भर्ती कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्ति के आधार पर योगदान की तिथि से की जायेगी । नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थ/संविदा के आधार पर की गई सेवा की गणना एम०ए०सी०पी० के लिए नहीं की जायेगी ।

12. राज्य सरकार के किसी विभाग में सेवारत सरकारी सेवक यदि समान ग्रेड वेतन के पद पर दूसरे विभाग में नियमित रूप से नियुक्त होते है तथा दोनों विभागों की सेवा के बीच कोई टूट नहीं रहता है, तो पूर्ववर्ती विभाग में की गई सेवा की अवधि एम०ए०सी०पी० के निमित (नियमित प्रोन्नति के लिये नहीं) नियमित सेवा के रूप परिगणित की जायेगी, किन्तु एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय लाभ पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक की नये पद की परीवीक्षा (Probation) अवधि संतोषप्रद रूप से पूरी नहीं की जाती है ।

13. स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम में की गई पूर्व सेवा की गणना बाद में राज्य सरकार में नियुक्त होने पर एम०ए०सी०पी० के लिये नियमित सेवा के रूप में नहीं की जायेगी ।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

india.gov.in INDIA

14. एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन हेतु सामान्य प्रोन्नति मानकों यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता की प्राप्ति आदि, जो भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में निहित है, को प्राप्त करना आवश्यक होगा । अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई के मामले में इस योजना के अन्तर्गत लाभों की स्वीकृति सामान्य प्रोन्नति के नियमों के अधीन प्रदान की जायेगी ।

15. यदि किसी सरकारी सेवक को वित्तीय उन्नयन के पूर्व नियमित प्रोन्नति देय होती है, लेकिन नियमित प्रोन्नति को वह स्वीकार नहीं करता है, वैसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा तथा यह माना जायेगा कि प्रोन्नति के अवसर के अभाव में उनका गत्यावरोध नहीं हुआ है । लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के उपरान्त संबंधित सरकारी सेवक देय नियमित प्रोन्नति को स्वीकार नहीं करते है, तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का आधार नहीं होगा । परन्तु अगले वित्तीय उत्क्रमण पर तभी विचार किया जायेगा, जब संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रोन्नति के लिये सहमति दी जायेगी । जितनी अवधि के लिये संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रोन्नति स्वीकार नहीं की गयी है, उतनी अवधि के लिये अगले वित्तीय उत्क्रमण की तिथि बढ़ा दी जायेगी ।

15.1 सरकारी सेवक, जो प्रतिनियुक्ति पर है, के लिये एम०ए०सी०पी०एस० के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के लिये पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित होने की आवश्यकता नहीं है । विकल्प के आधार पर सरकारी सेवक, धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) तथा एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन अनुमान्य मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) में से जो भी लाभकारी हो, का चयन कर सकते है ।

16. इस योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/यू०जी०सी०/ए०आई०सी०टी०ई०/एन०सी०ई०आर०टी० आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी जिनके लिये अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

17. राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्वायत्तशासी संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सहित)/ राज्य सरकार द्वारा सृजित/अधिग्रहित भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा अन्य अधिनियम के तहत् गठित निगम/निकाय/पर्षद् या सदृश संस्थानों में कार्यरत कर्मी इस योजना की परिधि में नहीं आयेंगे । ऐसे संस्थानों के द्वारा नियुक्त कर्मी का वेतन भत्ता, सुविधायें संबंधित संस्था के द्वारा उनके आय-व्ययक (बजट) के तहत् उपलब्ध कराया जाता है, सरकार इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, किन्तु ऐसी सुविधाओं की भरपाई के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता/अनुदान नहीं दिया जायेगा और न सरकार किसी रूप में इसके लिये उत्तरदायी होगी । सरकार ऐसी संस्था को ऋण/अनुदान निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार देती है । सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले बोर्ड/निगम/निकाय आदि अपने कर्मियों को सुविधा देते समय इस बात का पूर्णरूपेण ध्यान रखेंगे कि दी जानेवाली सुविधा/वेतन किसी भी स्थिति में समान अवस्था वाले राज्यकर्मियों से अधिक नहीं हो, अन्यथा सहायता की राशि में कटौती कर दी जायेगी ।

18. एम०ए०सी०पी० योजना लागू किये जाने के पश्चात् सम्वर्गीय रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया कुप्रभावित नहीं होगी । संगत नियम/निदेश के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से संवर्ग में रिक्त नियमित पदों पर प्रोन्नति देने की कार्रवाई आवश्यक छान-बीन के बाद ही पूरी की जाएगी ।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

india.gov.in INDIA

19. एम०ए०सी०पी० योजना केन्द्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है, अत: इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरण मुटाटिस-मुटेंडिस (Mutatis-Mutandis) राज्यकर्मियों के मामले में भी लागू होंगे ।

20. एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् देय वित्तीय उन्नयन का कतिपय दृष्टांत निम्न प्रकार है :-

(क) (i) यदि PB-I ग्रेड वेतन रूपये 1900 का कोई सरकारी सेवक (LDC) 08 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त PB-I ग्रेड वेतन रुपये 2400 (LDC) में प्रोन्नति प्राप्त करते है तथा उस ग्रेड वेतन में अगले 10 वर्षों तक बिना प्रोन्नति के उसी ग्रेड वेतन में बने रहते हैं, तो एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् 18 वर्ष (8+10) पूरा करने के उपरान्त PB-I ग्रेड वेतन रूपये 2800 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन के पात्र होंगे ।

(ii) यदि इसके बाद उन्हें कोई प्रोन्नति नहीं मिलती है, तो अगले 10 वर्ष की सेवा अर्थात् (8+10+10) 28 वर्ष पूरी करने के उपरान्त उन्हें PB-II ग्रेड वेतन रुपये 4200 में तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा ।

(iii) यदि उक्त सरकारी सेवक अगले 05 वर्षों की सेवा अवधि 23 वर्ष (8+10+5) के उपरान्त PB-II ग्रेड वेतन रुपये 4200 में द्वितीय प्रोन्नति प्राप्त करते हैं, तो 30 वर्षों की सेवा के उपरान्त अर्थात् द्वितीय वित्तीय उन्नयन से 10 वर्षों के बाद PB-II ग्रेड वेतन रुपये 4600 में तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेंगे ।

इन मामलों में संबंधित सरकारी सेवक का कुल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) वित्तीय उन्नयन के पूर्व 03 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा । आगे उसी ग्रेड वेतन अथवा उच्चतर ग्रेड वेतन नियमित प्रोन्नति होने पर पुन: वेतन का निर्धारण नहीं किया जायेगा । मात्र ग्रेड वेतन के अंतर की राशि प्रोन्नति के समय अनुमान्य होगी ।

(ख) यदि PB-I ग्रेड वेतन रुपये 1900 में किसी सरकारी सेवक (L.D.C.) को एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन 10 वर्षों की सेवा के उपरान्त प्रथम वित्तीय उन्नयन PB-I ग्रेड वेतन रुपये 2000 में स्वीकृत किया जाता है तथा 05 वर्षों के बाद वह प्रथम नियमित प्रोन्नति (U.D.C.) PB-I ग्रेड वेतन रुपये 2400 में प्राप्त करते हैं, तो वैसी स्थिति में एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत उन्हें 20 वर्षों की सेवा के उपरान्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन PB-I ग्रेड वेतन 2800 में स्वीकृत किया जायेगा । 30 वर्षों की सेवा के उपरान्त वे तीसरा वित्तीय उन्नयन PB-II ग्रेड वेतन रुपये 4200 में प्राप्त करेंगे । परन्तु यदि उन्हें 20 वर्षों के पूर्व दो प्रोन्नतियाँ मिली है, तो दूसरी प्रोन्नति की तिथि से एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की सेवा के बाद अथवा 30 वर्षों की सेवा, जो भी पहले हो के उपरान्त तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा ।

(ग) यदि किसी सरकारी सेवक को दो प्रोन्नतियाँ प्राप्त हो गयी है अथवा पुरानी ए०सी०पी० योजना के तहत् 24 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् दूसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त हो चुका हो, तो एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् 30 वर्षों की सेवा के उपरान्त उन्हें तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा, बशर्ते कि उन्हें सम्वर्गीय पदसोपान में तीसरी प्रोन्नति नहीं मिली हो ।

राजबाला वर्मा,
प्रधान सचिव ।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

दृष्टांत

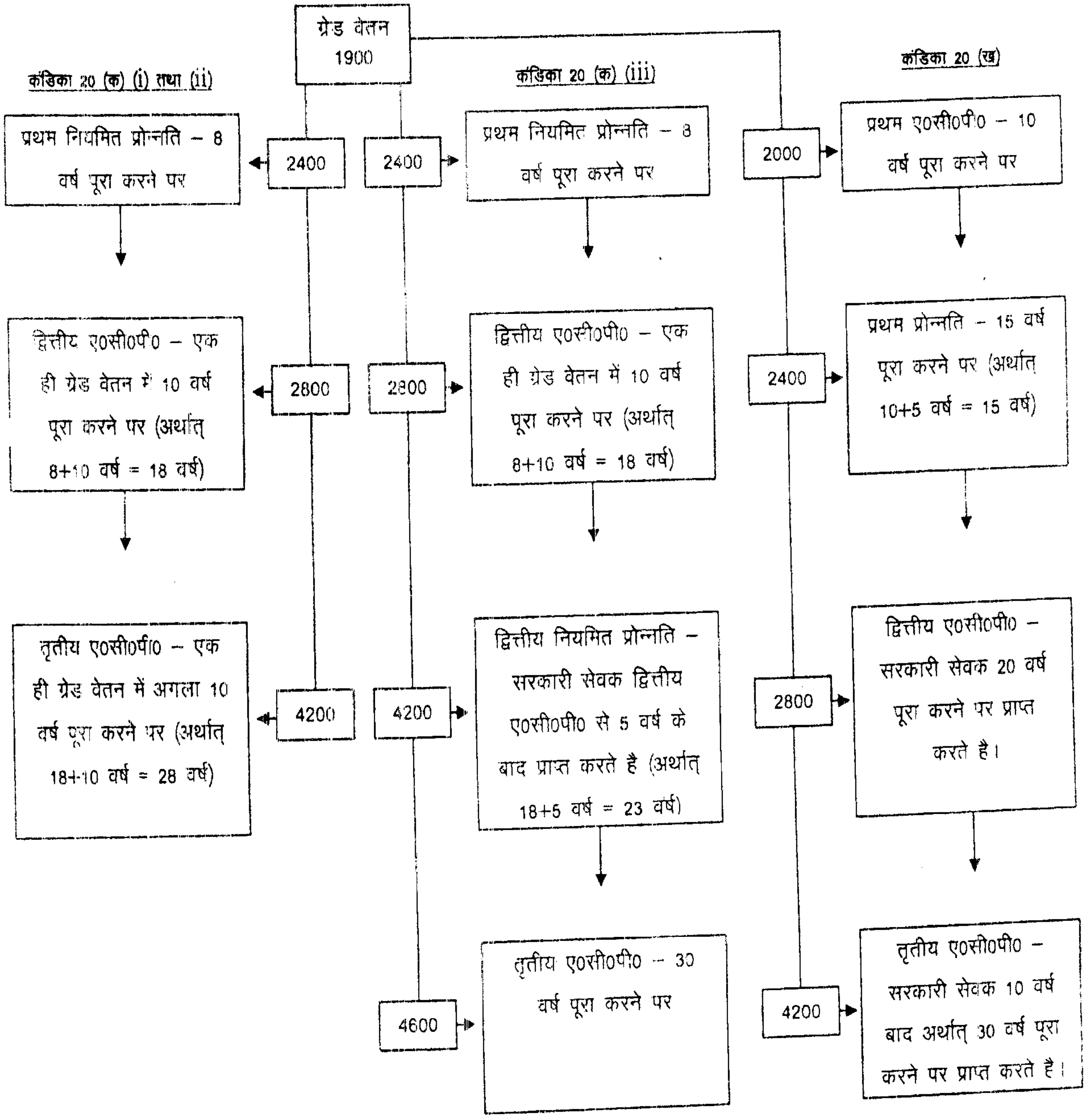

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 415--300+1,000

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)